न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, कुचामनसिटी जिला डीडवाना–कुचामन (राज.)

बइजलास– जगदीश प्रसाद गौड़, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 20/2022 जीसीएमएस नम्बर 2022/24

अपीलान्ट

गोपालनाथ पुत्र भोलानाथ जाति योगी निवासी मारोठ तहसील नावां जिला डीडवाना–कुचामन।

रेस्पोडेन्ट्स

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नावां जिला डीडवाना–कुचामन ।

उपस्थित अधिवक्ताः–

1. श्री अशोक पुरी अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. राजकीय पैरोकार सरकार की ओर से।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राज. भू–राजस्व अधिनियम, 1956

निर्णय

दिनांकः 18.06.2024

1 यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार नावां के राजस्व प्रकरण संख्या 44/2021 बअनवान सरकार जरिये पटवारी हल्का मारोठ बनाम श्री गोपालनाथ में पारित निर्णय दिनांक 19.01.2022 के विरूद्ध पेश की है।

2 अपील के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का मारोठ की रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय तहसीलदार नावां द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध दिनांक 01.04.2021 को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। अपीलान्ट का कथन है कि न्यायालय तहसीलदार नावां द्वारा अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना ही एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर दिनांक 19.01.2022 को निर्णय पारित कर अपीलान्ट को अतिक्रमी घोषित कर दिया गया। तथा ग्राम मारोठ के आराजी राज खसरा नं. 1020 रकबा 0.87 हैक्टर किस्म भूमि चाह 2 जाव 2 जो कि मन्दिर श्री रूधनाथ जी की भूमि में से 0.03 हैक्टर भूमि पर से पक्की दुकानें बनाकर अतिक्रमण कर रखा है। इसलिए अपीलान्ट को बेदखल कर लगान 0.27 का पचास गुणा से राशि रूपये 14 रूपये अक्षरे रूपये चौदह जूर्माना आरोपित किया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3 अपीलान्ट की अपील दिनांक 07.04.2022 को [illegible] विचाराधीन रखते हुए दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन [illegible] तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के रिकार्ड हेतु तलबी जारी की [illegible] अधीनस्थ न्यायालय के पत्रांक/राजस्व/2022/301 दिनांक 28.12.2022 के [illegible] रिकार्ड इस न्यायालय में प्राप्त हुआ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2025.12.31 13:16:37 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कुचामन सिटी

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर कुचामन सिटी

4 वकील अपीलान्ट ने अपील के साथ शपथ पत्र पेश कर कथन किया कि न्यायालय तहसीलदार नावां द्वारा निर्णय दिनांक 19.01.2022 अपीलान्ट को बिना सुने एवं अपीलार्थी के जबाब को अनदेखा कर विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया गया है।

5 बहस अधिवक्ता अपीलान्ट सुनी गई। अपीलार्थी के वकील ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि न्यायालय तहसीलदार नावां द्वारा ग्राम मारोठ के खसरा संख्या 1020 जो कि द्वितीय भू–प्रबन्ध से पूर्व खातेदारी अपीलार्थी एवं अपीलार्थी के पूर्वजों के नाम से थी। द्वितीय भू–प्रबन्ध के बाद खातेदारी मन्दिर के नाम दर्ज कर दी गयी उक्त खसरे की कब्जा काश्त आज भी अपीलार्थी की हैं। अपीलार्थी द्वारा किसी भी सरकारी भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं किया गया है। अपीलार्थी द्वारा सड़क सीमा में किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं किया हुआ हैं जो निर्माण हल्का पटवारी मारोठ द्वारा बताया गया है वह निर्माण मन्दिर सेवा पूजा के लिए अपीलार्थी एवं पूर्वजों द्वारा खसरा संख्या 1020 में करवाया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित जाकर निर्णय किये जाने से उक्त निर्णय खारिज किये जाने योग्य है।

6 राजकीय पैरोकार ने दौरान बहस यह बताया कि ग्राम मारोठ के आराजी राज खसरा नं. 1020 रकबा 0.87 हैक्टर किस्म जाव 2 चाही 2 में सें 0.03 हैक्टर भूमि पर पक्की दुकानें बनाकर अतिक्रमण किया हुआ है जोकि मन्दिर श्री रूधनाथ जी भूमि है। अपीलान्ट को बेदखल कर लगान 0.27 का पचास गुणा से राशि रूपये 14 रूपये अक्षरे रूपये चौदह जूर्माना आरोपित किया गया।

पेरोकार सरकार ने ''राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र क्रमांक 3 (2)राज–6/2007/पार्ट/5 जयपुर दिनांक 12.09.2018 के बिन्दु संख्या 5 में स्पष्ट निर्देश प्रदान किये गये है कि मन्दिर भूमि पर अतिक्रमण की स्थिति में पटवारी द्वारा संज्ञान में लाये जाने पर तहसीलदार अतिक्रमी के विरूद्व कार्यवाही इस प्रकार करेगे जैसे कि राजकीय भूमि पर अतिक्रमी के विरूद्व करते है, तथा मन्दिर मूर्ति के संरक्षण हेतु दायित्वाधीन होंगें।''
जोकि विधिसम्मत होने से सही है एवं अतिक्रमण हटवाया जाना नियमानुसार उचित एवं आवश्यक है।

7 वकील अपीलान्ट एवं राजकीय पैरोकार की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 19.01.2022 को पारित निर्णय को अधोपान उपरान्त गुणावगुण पर पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर विधि सम्मत कार्यवाही की गई है। अपीलान्ट द्वारा मन्दिर श्री रूधनाथ जी की भूमि पर नाजायज अतिक्रमण किया गया है। जो हटाना आवश्यक है।

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 में यह प्रावधान है कि किसी व्यक्ति द्वारा ऐसी भूमि पर बिना विधि संगत प्राधिकार के अधिवास या कब्जा कर रखा हो, उसे अतिचारी समझा जायेगा तथा उसे तुरन्त बेदखल किया जा सकता है। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 की कार्यवाही संक्षिप्त कार्यवाही है। तहसीलदार को राजकीय भूमि के साथ–साथ मन्दिर भूमि पर से भी अतिक्रमण हटाने का अधिकार है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2025.12.31 13:16:37 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर कुचामन सिटी

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कुचामन सिटी

–:आदेश:–

प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा अतिक्रमण किया जाना साबित होने से राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत अतिक्रमण हटवाया जाना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में हस्तगत अपील में कोई सार नही होने से उक्त अपील निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत होने से इसमें कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 19.01.2022 उपर्युक्त विवेचनानुसार यथावत रखा जाकर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है।

(जगदीश प्रसाद गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
कुचामन सिटी

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कुचामन सिटी

निर्णय आज दिनांक 18.06.2024 को मेरे हस्ताक्षर एव न्यायालय की मुहर से जारी कर सर–ए–ईजलास सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर कुचामन सिटी

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कुचामन सिटी

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कुचामन सिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2025.12.31 13:16:37 IST
Reason: SelfAttested